संख्या:69/2022/2132 ई-2/तेरह-2022-1680493

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

विषयः-मेसर्स गॉडसन आर्गेनिक फार्म प्रा.लि., खसरा नं. 240-241, ग्राम तिगरा पोस्ट भण्डसर, जनपद बरेली को 1,00,000 लीटर वार्षिक क्षमता की वाइन उत्पादन हेतु द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-255/दो-प्रा.डी.-256/गॉडसन, दिनांक 21-12-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21-12-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त **राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स गॉडसन आर्गेनिक फार्म प्रा. लि., खसरा नं. 240-241, ग्राम तिगरा पोस्ट भण्डसर, जनपद बरेली को वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1,00,000 (एक लाख) लीटर वार्षिक क्षमता की द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-**

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित नियमों व शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

(2) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(3) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अन्य संबंधित विभागों से सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति अथवा अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के निदेशकों पर राजस्व का कोई बकाया न हो।

(8) आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई से उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः69/2022/2132(1)ई-2/तेरह-2022-1680493 तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।